मनीष बनाम लैंड होल्डर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा प्र.सं. - 10/2022
	के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 19.6.23 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
19.06.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.06.26 10:39:11 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2022	2022 / 0020	19.01.2022	19.06.2023

उनवान प्रकरण

मनीष कुमार पुत्र स्व0 केदारमल आयु 32 वर्ष जाति महाजन निवासी 208, विश्वकर्मा कॉलोनी ग्राम अजीतगढ़, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

–वादी–

बनाम्

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

–प्रतिवादी–

उपस्थित :–

श्री कमलेश कुमार शर्मा–1, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1427 रकबा 1.1000 है0, खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.0600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 है0 तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके रिकार्डेड खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ जिला सीकर ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 4177/21600 में से हिस्सा 1820/4177 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 23.11.2020 को वादी को विधिवत रूपेण विक्रय कर लिया था तथा वादी को मौके पर उक्त विक्रित भूमि का कब्जा सम्भला दिया था। जिसका विक्रय लेख दिनांक 23.11.2020 को उपपंजीयक कार्यालय अजीतगढ़ में पंजीबद्ध एवं इन्द्राज हुआ है। वादी क्रय के रोज से ही अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि का बतौर मालिक उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख क्रयशुदा भूमि से दीगर का कोई ताल्लूक किसी किस्म का नहीं है। वादी ने उक्त विक्रय लेख की नकल सम्बन्धित पटवारी हल्का को दे दी थी तथा पटवारी हल्का ने वादी को आश्वस्त कर दिया था कि आपके नाम खातेदारी में इन्द्राज हो जावेगा जिसके पश्चात् वादी आश्वस्त रहा। तत्समय पश्चात् वादी के पिताजी का आकस्मिक स्वर्गवास होने पर वादी अपने अन्य कार्य एवं व्यापार आदि में व्यस्त रहा तथा अपने नाम खातेदारी होने का इंतजार करता रहा। उक्त भूमि पर वादी क्रय के समय काबिज काश्त चला

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

आ रहा है। इस प्रकार वादी निरन्तर रूप से काबिज काश्त रहने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। उक्त भूमि को क्रय करने के बाद से उक्त भूमि से विक्रेता का कभी कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं रहा, ना ही वर्तमान में कोई ताल्लुक है, ना ही इनका कभी कोई कब्जा काश्त रहा, ना ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। बिनाय दावा दिनांक 10.01.2022 को वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों को उक्त भूमि का खाता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख अनुसार खुलवाने हेतु निवेदन किया तो राजस्व अधिकारियों ने न्यायालय में चाराजोही करने बाबत् कहने पर वादकारण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1427 रकबा 1.1000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.0600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1600 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिस्सा 4177/21600 में से हिस्सा 1820/4177 का वादी खातेदार काश्तकार है तथा उक्त हिस्सा से खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ जिला सीकर का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया। वाद वास्ते दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सा[illegible]रीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन असा[illegible]कर आया। बावजूद तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू0अ0/2022/2990 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि:–

वादी मनीष कुमार पुत्र केदारमल जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ द्वारा ग्राम गढटकनेत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.06 हैक्टर, 1427 रकबा 1.10 हैक्टर में विक्रेता बजरंग सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ कुल 2.16 हैक्टर भूमि में हिस्सा 4177/21600 में से 1820/4177 हिस्से का बेचान लेख किया गया। जिसका पंजियन उप पंजियक अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 23.11.2020 को पंजियन संख्या 202003500101891 को किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–77 में खाता संख्या 353 खसरा संख्या 1427 रकबा 1.10 हैक्टर, 1453 रकबा 1.06 हैक्टर कुल रकबा 2.16 हैक्टर में बजरंग सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ का हिस्सा 3428929/90223200 दर्ज रिकॉर्ड है जबकि उक्त वर्णित विक्रय लेख में कुल 2.16 हैक्टर भूमि में से हिस्सा 4177/21600 में से 1820/4177 हिस्सा का बेचान किया गया है। इस प्रकार विक्रय लेख में वर्णित हिस्सा जमाबंदी में वर्णित विक्रेता के हिस्से से अधिक है। उक्त वर्णित विक्रय लेख का नामांतरण दर्ज किया जाना [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/वादी [illegible] अन्य विक्रय लेख में खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत द्वारा श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाति राजपूत निवासी शिव विहार खातीपुरा जयपुर के पक्ष में बेचान किया गया था। जिसका पंजियन उपपंजियक अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 21.08.2020 को पंजीयक संख्या 202003500101302 पर किया गया। उक्त विक्रय लेख में खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत द्वारा ग्राम गढ़टकनेत के भूमि खसरा नम्बर 1427 रकबा 1.10 हैक्टर खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.06 हैक्टर कुल रकबा 2.16 हैक्टर में से हिस्सा 4177/21600 में से 649/4177 हिस्से का बेचान श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जयपुर के पक्ष में किया गया। जिसका नामांतरण संख्या 2274 दिनांक 21.12.2020 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त नामांतरण में से श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जयपुर का हिस्सा 20338201/90223200 दर्ज किया गया एवं विक्रेता बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ का हिस्सा 3428929/90223200 दर्ज किया गया। उक्त विक्रय विलेख (पंजीयन संख्या 20203500101302 दिनांक 21.08.2020 का विक्रेता द्वारा शुद्धि लेख दिनांक 04.08.2022 को पंजीयन संख्या 202203500101635 द्वारा बेचान का हिस्सा 4177/21600 में से हिस्सा 649/4177 का विक्रय की जगह हिस्सा 4177/21600 का 649/4177 भाग का विक्रय होना करवाया गया है। इस प्रकार शुद्धि लेख के पश्चात् क्रेता श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जयपुर का हिस्सा 649/21600 बनता है एवं पूर्व से दर्ज रिकॉर्ड हिस्सा 1513/21600 को मिलाकर कुल हिस्सा 1081/10800 बनता है। जिसका बेचान श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत द्वारा बन[illegible]लाल यादव पुत्र गिरधारीलाल यादव जाति अहीर निवासी नांगल (नीथूसर) [illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के पक्ष में किया जा चुका है। जिसका प[illegible]यन दिनांक 23.06.2021 को पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक 202103500100927 पर उप पंजीयक अजीतगढ द्वारा किया गया है एवं जिसका नामांतरण संख्या 2333 दिनांक 26.08.2021 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। इस प्रकार विक्रेता बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह द्वारा श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत को हिस्सा 649/21600 का बेचान करने के पश्चात् शेष हिस्सा 3528/21600 ही बचता है जबकि जमाबंदी रिकॉर्ड में खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह का हिस्सा 3428929/90223200 दर्ज रिकॉर्ड है। अतः जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि का हिस्सा 1081/10800 का बेचान किया जा चुका है। इसलिए जमाबंदी रिकॉर्ड में खाता संख्या 353 राजस्व ग्राम गढटकनेत खसरा संख्या 1427 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 हैक्टर भूमि में से खातेदार श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत का हिस्सा 11307527/90223200 सम्पूर्ण हजफ किया जाकर एवं खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत का हिस्सा 3428929/90223200 के बजाय दुरूस्त किया जाकर खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत हिस्सा 1708/21600 एवं वादी मनीष कुमार पुत्र स्व0 केदारमल अग्रवाल जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ के द्वारा क्रय की गई भूमि हिस्सा 1820/21600 (जो कि खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत से क्रय की गई थी) वादी मनीष कुमार पुत्र केदारमल जाति महाजन के नाम किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई हैं।

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077, विक्रय लेख मनीष कुमार के हक में एंव विक्रय लेख श्रवण सिंह के हक में, विक्रय लेख बनवारी लाल यादव के हक में, शुद्धि लेख की फोटो प्रति, नामांतकरण संख्या 2274, 2333, जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.06 हैक्टर, 1427 रकबा 1.10 हैक्टर में विक्रेता बजरंग सिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ कुल 2.16 हैक्टर भूमि में हिस्सा 4177/21600 में से 1820/4177 हिस्से का बेचान वादी मनीष कुमार के पक्ष में तथा इसी भूमि में से हिस्सा 4177/21600 में से 649/4177 हिस्से का बेचान श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जयपुर के पक्ष में किया जाने पर नामांतकरण संख्या 2274 दिनांक 21.12.2020 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना तथा उक्त नामांतकरण में से श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जयपुर का हिस्सा 20338201/90223200 एवं विक्रेता बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ का हिस्सा 3428929/90223200 दर्ज किया किया जाना प्रकट होता है। जिसका विक्रेता द्वारा शुद्धि लेख दिनांक 04.08.2022 को [illegible] संख्या 20220350010163 5 द्वारा बेचान का हिस्सा 4177/21600 में से हिस्सा 649/4177 का विक्रय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगह हिस्सा 4177 / 21600 का 649 / 4177 भाग का विक्रय किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त शुद्धि लेख अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खातेदार श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत का हिस्सा 11307527 / 90223200 सम्पूर्ण हजफ किया जाकर खातेदार बजरंगसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत का हिस्सा 3428929 / 90223200 के बजाय हिस्सा 1708 / 21600 एवं वादी मनीष कुमार पुत्र स्व0 केदारमल अग्रवाल जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ के द्वारा क्रय की गई भूमि हिस्सा 1820 / 21600 के नाम किया जाना तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1427 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में हिस्सा 4177 / 21600 में से हिस्सा 1820 / 4177 का वादी मनीष कुमार पुत्र स्व0 केदारमल अग्रवाल जाति महाजन निवासी अजीतगढ़ को खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से खातेदार बजरंगसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested